प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18–11–2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–15 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 02.11.2013 को वादी श्री अमित पुत्र श्यामसिंह नि0 ग्राम बहलोलपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर के पिता श्यामसिंह उम्र–42 वर्ष की अभियुक्त श्यामू पुत्र तेलूराम नि0 बहलोलपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर के द्वारा कनपटी पर चोट मारकर मृत्यु कर देने की सूचना पर थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 151/13 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 247/17 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–15 स0पुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने/पैरोकार द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–15 स0पुर द्वारा आज दिनांक 18–11–2021 को अभियुक्त श्यामू पुत्र तेलूराम को मु0अ0सं0 151/13 धारा 304 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रंम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18-11-2021

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 05 अभियुक्तो के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 05 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का विवरण निम्नवत् हैं:-

- इंतजार पुत्र गुलजार निवासी हसनपुरा लुहारी थाना थानाभवन, शामली।
- इमरान पुत्र नासिर निवासी एकता कालोनी थाना कु0शेर, सहारनपुर।
- इमरान पुत्र बुब्बे निवासी ढोलीखाल थाना कु0शेर, सहारनपुर।
- सोनू उर्फ नवाब पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम चुन्हेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- अख्तर उर्फ काला पुत्र जिन्दा हसन निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 18—11—2021

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्ता गिरफ्तारः—

दिनांक 17—11—2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा ग्राम जाटोवाला से अभि0 सुमन पत्नी सुरेन्द्र निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर, सहारनपुर को 04 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 297/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 17—11—2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा कमेला की पुलिया से अभि0 रियासत पुत्र रसीद निवासी नदीम कालोनी गली नं0 8 थाना कु0शेर, सहारनपुर को 21 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 502/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 17—11—2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा धोलाहेड़ी पुल से अभि0 कुर्बान पुत्र असरफ निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर को 120 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 411/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

सोशल मीड़िया सेल
सहारनपुर।